



‘ हम समझते हैं रिश्तों की कीमत ’
मत्स्य परिवार से जुड़ें



मात्स्यिकी विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं

मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश
से सम्बंधित
जन अधिकार पुस्तिका



मात्स्यिकी निदेशालय
हिमाचल प्रदेश
बिलासपुर.174 001

मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

1. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	बचत एवम राहत योजना
उद्देश्य एवम विशेषता	राज्य के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को दो माह के वर्जित काल के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना ।		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये । लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये । लाभार्थी की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिये। लाभार्थी को मछली पकड़ने वाले 10 माह तक रु० 100/- प्रति माह (रु० 1000 वार्षिक) का योगदान देना होगा । राज्य सरकार, केंद्र सरकार व लाभार्थी से रु० 3000/- की एकत्रित राशि प्रत्येक मछुआरे को दो माह के वर्जित काल के समय दो किस्तों में दी जाती है ।		
सहायता का ब्योरा	रु० 2000/- (रु० 400/- राज्य भाग + रु० 1600/- केंद्र भाग)		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज	राज्य के जलाशयों की मत्स्य सहकारी सभाओं से पूर्णकालिक मछुआरों का पूर्ण विवरण व 10 माह का वित्तिय योगदान ।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	न्यूनतम 18 अधिकतम 60	जेंडर	सभी
2. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की पद्धति पर)
उद्देश्य एवम विशेषता	राज्य के सभी मछुआरो व मत्स्य पालकों को निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवाना		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> राज्य के सभी मछुआरो व मत्स्य पालक निःशुल्क बीमा योजना में पात्र हैं। मछुआरा/मत्स्य पालक मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर रु० 2.00 लाख की राशि हेतु बीमित है। आंशिक अपंगता में रु० 1.00 लाख की राशि हेतु बीमित है तथा दुर्घटना होने पर रु० 10,000/- Indoor patient (Hospitalization expenses) उपचार हेतु दिए जाएंगे। बीमा कवच 12 माह के लिये होगा । 		

	3. बीमा योजना फिश कोफेड (FISHCOPFED)के माध्यम से लागू की जायेगी		
सहायता का ब्योरा	100 %		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज	आधार नंबर, बैंक खाता विवरण (आई एफ़ एस सी कोड सहित), मोबाइल नंबर		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	60 वर्ष से कम	जेंडर	सभी
3. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	मछुआरों व मत्स्य पालकों हेतु प्रशिक्षण शिविर योजना
उद्देश्य एवम विशेषता	मछुआरों व मत्स्य पालकों के ज्ञानवर्धन व स्वरोजगार सृजन हेतु।		
पात्रता	समय समय पर मत्स्यकी विभाग द्वारा मछुआरों व मत्स्य पालकों के ज्ञानवर्धन हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है इस योजना में बेरोजगार व्यक्ति जो भविष्य में मत्स्य पालन अपनाना चाहता है वो भी पात्र है।		
सहायता का ब्योरा	100 %		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज	आधार नंबर, बैंक खाता विवरण (आई एफ़ एस सी कोड सहित), मोबाइल नंबर		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
4. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना (स्लूस गेट जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य तथा वायु सनचारन, आहार भंडार)
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी		
पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।		

	<p>भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।</p> <p>2. निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ही वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी ।</p> <p>3. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।</p>		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 7,00,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40% (रू० 2,80,000/-) प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 4,20,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़ (पर्चा/ततीमा), आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र ।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
5. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	तालाब मुरम्मत, पुनरुधार हेतु सहायता योजना
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढोत्तरी		
पात्रता	<p>1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों(पर्चा/ततीमा) के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।</p> <p>2. किसी भी मौजूदा तालाब को मुरम्मत हेतु निर्माण से 5 वर्ष की अवधि के उपरांत ही लिया जा सकता है।</p> <p>3. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे मत्स्य पालकों को वरीयता दी जायेगी।</p> <p>4. प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सहायता प्रदान की जाएगी । परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी।</p>		

सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 3,50,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40 % रू० 1,40,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 2,10,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज(पर्चा/ततीमा), आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र ।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
6. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	रियरिंग तालाब नव निर्माण हेतु सहायता योजना
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व राज्य के जल-स्रोतों में संग्रहण हेतु बड़े आकार की अन्गुलिकाए तैयार करना ।		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। 2. निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी । 3. परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी । 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 6,00,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40% रू० 2,40,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 3,60,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		

वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़(पर्चा/ततीमा), आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र ।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
7. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	प्रथम वर्षीय आदानो हेतु सहायता योजना (बीज, खुराक, खाद व परिवहन)
उद्देश्य एवम विशेषता	प्रथम वर्ष में मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय सहायता।		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. मत्स्य पालन निर्माण व मुरम्मत पर आदानो हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। 2. आदानों हेतु सहायता केवल प्रथम वर्ष में ही दी जायेगी। 3. आदानो हेतु सहायता केवल तालाबों के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर दी जाएगी। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 1,50,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40 % ₹ 60,000/- प्रति हेक्टेयर की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से ₹ 90,000/- की अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज़	केवल तालाब नव निर्माण, पुनरुधार व रियरिंग तालाबो के निर्माण के अंतर्गत लाभार्थी हेतु सहायता योजना: पूर्ण प्रथम वर्षीय आदानो को क्रय करने की मूल रसीदे इत्यादि।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
8. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	कार्प हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना
उद्देश्य एवम विशेषता	कार्प बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन करने हेतु वित्तीय सहायता।		

पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। 2. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जायेगी। 3. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 4. हैचरी में न्यूनतम 10 मिलियन (1 करोड़) फ्राई प्रति वर्ष उत्पादन होना चाहिये। 5. हैचरी में ब्रूडर तालाब, प्रजनन टैंक, नर्सरी तालाब, बिजली व पानी की छोटे आकार की प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 6. हैचरी योग्य तकनीकी एवम कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 7. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 8. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 25,00,000/- प्रति इकाई व 2 हेक्टेयर नरसरी तालाबों के निर्माण हेतु) सामान्य जाति 40 % ₹ 10, 00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 15,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज(पर्चा/ततीमा), आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र ।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
9. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	ट्राउट इकाई निर्माण हेतु सहायता योजना
उद्देश्य एवम विशेषता	ट्राउट पालन में स्वरोजगार वित्तीय सहायता व ट्राउट उत्पादन में बढ़ोतरी।		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 2. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जायेगी। 3. प्रति लाभार्थी केवल 4 इकाईयों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। 		

	4. सहकारी सभाओं हेतु अधिकतम 10 इकाईयों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू०2,00,000/- प्रति इकाई) 17m*2m*1.5m सामान्य जाति 40 % रू० 80,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू० 1,20,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र ।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
10. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, परिवहन) हेतु सहायता योजना
उद्देश्य एवम विशेषता	ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन हेतु वित्तीय सहायता।		
पात्रता	1. आदानो हेतु वित्तीय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है। 2. आदानो हेतु वित्तीय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर ही दी जायेगी।		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू०2,50,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रू०1,50,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		

वांछित दस्तावेज़	प्रथम वर्षीय आदानो को क्रय करने की मूल रसीदे इत्यादि।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
11. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना
उद्देश्य एवम विशेषता	ट्राउट बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार सृजन करने हेतु वित्तीय सहायता।		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जायेगी। 2. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 3. हैचरी में न्यूनतम 2.00 लाख ट्राउट बीज प्रति वर्ष उत्पादन होना चाहिये। 4. हैचरी में हैचिंग ट्रौफ, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 5. हैचरी योग्य तकनीकी एवम कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा । 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= ₹ 25,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % ₹ 10, 00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से ₹ 15,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी

12.योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	आदर्श मछुआ आवास योजना
उद्देश्य एवम विशेषता	राज्य के मछुआ वर्ग को पक्का घर उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय सहायता ।		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवास इकाई का न्यूनतम पल्लोथ आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए जिसमें शौचालय की भी सुविधा हो। 2. लाभार्थी सक्रिय मछुआरा होना चाहिए। 3. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे मछुआरों को वरीयता दी जाएगी। 4. जिन लाभार्थियों के पास कच्चा घर हों, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। 5. एक क्लस्टर (गांव) में कम से कम 20 घर मछुआरों के होने चाहिए। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत = ₹ 1,30,000) सभी वर्गों हेतु 100% सहायता		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबंध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र ।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी ।	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
13.योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	फीड मील निर्माण (ट्राउट व कार्प)
उद्देश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन हेतु मत्स्य आहार उत्पादन		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य के बेरोजगार युवा/ महिला जिनके पास ऋण मुक्त भूमि उपलब्ध हो। 2. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जायेगी। 3. परियोजना रिपोर्ट केवल मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी। 4. फीड मील योग्य तकनीकी एवम कुशल स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये। 5. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य आहार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 6. निर्माण उपरांत फीड मील का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर 		

	करेगा		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत=10,00,000/-रु० प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% रु० 4,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रु० 6,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
14. योजना /स्कीम का संचालन	केन्द्र	योजना का नाम	रिटेल फिश आउटलेट
उद्देश्य एवम विशेषता	मछली विक्रय आउटलेट के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।		
पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 2. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जायेगी। 3. आवेदन पत्र जो पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर हो। 4. परियोजना प्रस्ताव केवल मात्स्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी 5. फिश आउटलेट का न्यूनतम आकर 100 वर्ग फीट होना चाहिए 6. अनु० जाति/अनु०जनजाति/महिलाओं व बेरोजगार युवाओं को वरीयता दी जाएगी। 		
सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत=10,00,000/-रु० प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% रु० 4,00,000/- प्रति इकाई की उच्चतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति इकाई की दर से रु० 6,00,000/- अधिकतम सीमा।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		

डाउनलोड की जा सकती है?			
वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
15.योजना /स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	गिल जाल आबंटन
उद्देश्य एवम विशेषता	सभी सक्रिय जलाशय मछुआरो को मछली पकड़ने के जाल आबंटित करना		
पात्रता	लाभार्थी सहकारी सभा का सदस्य होना आवश्यक है।		
सहायता का ब्योरा	इकाई लागत = 10,000/- सामान्य जाति= 25%(2,500/-) अनुसूचित जाति/जनजाति= 50% (5,000/-)		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज़	जाति प्रमाण पत्र, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण (आई एफ एस सी कोड) मोबाइल नंबर, आवेदन पत्र		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
16.योजना /स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	रिस्क फण्ड योजना
उद्देश्य एवम विशेषता	जलाशय के मछुआरों को बाढ़ इत्यादि अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उनके मछली पकड़ने के उपकरणों को हुए नुकसान की आंशिक सहायता		
पात्रता	1. लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये 2. लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये मछुआरे द्वारा रिस्क फण्ड में वार्षिक 20/- रू० का योगदान अनियार्य है।		
सहायता का ब्योरा	सभी क्षतिग्रस्त उपकरणों का 50% (अधिकतम सीमा- बोट 20,000/- रू०, जाल 2,000/- रू०, टेंट 5000/- रू० व तरपाल 2,000/- रू०)		
सहायता लेने के लिए आवेदन	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय		

की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज़	क्षतिग्रस्त उपकरणों की क्षति पूर्ती हेतु फोटो सहित आवेदन पत्र।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
17.योजना /स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	अनुसूचित जाति बहुल गाँव में सामुदायिक तालाब निर्माण/ पुनरुधार
उद्देश्य एवम विशेषता	अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन से रोजगार प्रदान करना। सामुदायिक तालाब को अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को पंचायत द्वारा पट्टे पट दिया जाता है।		
पात्रता	केवल अनुसूचित जाति बहुल गाँव/ पंचायत के लिए		
सहायता का ब्योरा	100% (₹ 1,00,000/-)		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज़	पंचायत प्रस्ताव, भूमि सम्बन्धित दस्तावेज़, लाभार्थियों के बैंक खातों का विवरण, अनुमान पत्र		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
18.योजना /स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए
उद्देश्य एवम विशेषता	अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर।		
पात्रता	केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए		
सहायता का ब्योरा	100%		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट		

कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज़	पंचायत प्रस्ताव, भूमि सम्बन्धित दस्तावेज़, लाभार्थियों के बैंक खातों (आई एफ़ एस सी कोड सहित), मोबाइल नंबर का विवरण।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	उप-निदेशक कुल्लू/सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
19. योजना /स्कीम का संचालन	राज्य	योजना का नाम	मत्स्य पालन तालाब निर्माण जन जाति वर्ग के लिए
उद्देश्य एवम विशेषता	हिमाचल प्रदेश में जन जातीय क्षेत्रों से बाहर रहने वाले जन जातीय वर्ग के लिए मत्स्य पालन तालाब निर्माण सहायता		
पात्रता	केवल जन जाति जातीय वर्ग के व्यक्तियों के लिए		
सहायता का ब्योरा	न्यूनतम 500 वर्ग मीटर के तालाब हेतु ₹ 25,500/- की वित्तीय सहायता (प्रथम वर्षीय आदानों सहित)।		
सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।		
वांछित दस्तावेज़	जन जातीय प्रमाण पत्र, ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र।		
आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी	सम्बन्धित जिलों के सहायक निदेशक मत्स्य/ वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/मत्स्य अधिकारी		
आयु सीमा	कोई नहीं	जेंडर	सभी
संपर्क सूत्र /अधिकारी			
जिला बिलासपुर			
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर, हि0 प्र०	जिला बिलासपुर	adfsheries1-bil-hp@gov.in	01978-222568
मत्स्य अधिकारी, देवली (घागस) जिला बिलासपुर	मत्स्य फार्म, देवली (घागस) जिला बिलासपुर	-	-
मत्स्य अधिकारी, लठियानी	मत्स्य अवतरण केन्द्र,	-	-

जिला ऊना	लठियानी जिला ऊना		
मत्स्य अधिकारी, भाखड़ा, जिला बिलासपुर	मत्स्य अवतरण केन्द्र, भाखड़ा, जिला बिलासपुर	-	-
मत्स्य अधिकारी, संरक्षण, जिला बिलासपुर	मत्स्य अवतरण केन्द्र, भाखड़ा, जिला बिलासपुर	-	-
मत्स्य अधिकारी, मांदली जिला ऊना	मत्स्य अवतरण केन्द्र, मांदली जिला ऊना	-	-
मत्स्य अधिकारी, जगातखाना, जिला बिलासपुर	मत्स्य अवतरण केन्द्र, जगातखाना, जिला बिलासपुर	-	-

जिला कुल्लू

उप निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पतलीकुहल जिला कुल्लू, हि0 प्र०	जिला कुल्लू	ddf fisheries- kul-hp@nic.in	01902-240163
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पतलीकुहल जिला कुल्लू, हि0 प्र०	ट्राऊट फार्म पतलीकुहल जिला कुल्लू, हि0 प्र०	-	-
मत्स्य अधिकारी, बटाहड हैचरी जिला कुल्लू, हि0 प्र०	बटाहड हैचरी जिला कुल्लू, हि0 प्र०	-	-
मत्स्य अधिकारी, लारजी, जिला कुल्लू, हि0 प्र०	लारजी, जिला कुल्लू, हि0 प्र०	-	-
मत्स्य अधिकारी, हामनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र०	हामनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र०	-	-

जिला मंडी

सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल मंडी जिला मंडी, हि0 प्र०	जिला मंडी, हि0 प्र०	adf-mandi- hp@nic.in	01905-235141
मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म, अल्सु जिला मंडी जिला मंडी, हि0 प्र०	मंडी कार्प मत्स्य फार्म अल्सु जिला मंडी जिला मंडी, हि0 प्र०	-	-
मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट बरोट जिला मंडी जिला मंडी, हि0 प्र०	मंडी ट्राऊट फार्म बरोट जिला मंडी, हि0 प्र०	-	-
मत्स्य अधिकारी, मच्छयाल	महाशीर फार्म मच्छयाल	-	-

जिला मंडी जिला मंडी, हि० प्र०	जिला मंडी जिला मंडी, हि० प्र०		
पोंग-डैम (जिला काँगड़ा)			
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पोंग- डैम जिला काँगड़ा, हि० प्र०	पोंग जलाशय	Adfisheries-pong-hp@nic.in	01893-201282
मत्स्य अधिकारी, धमेटा जिला काँगड़ा, हि० प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र धमेटा	-	-
मत्स्य अधिकारी, देहरा जिला काँगड़ा, हि० प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र देहरा	-	-
मत्स्य अधिकारी, ज्वाली जिला काँगड़ा, हि० प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र ज्वाली	-	-
मत्स्य अधिकारी, नगरोटा-सुरियाँ जिला काँगड़ा, हि० प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र नगरोटा-सुरियाँ	-	-
मत्स्य अधिकारी, नंदपुर जिला काँगड़ा, हि० प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र नंदपुर	-	-
मत्स्य अधिकारी, बरनाली जिला काँगड़ा, हि० प्र०	मत्स्य अवतरण केन्द्र बरनाली	-	-
जिला हमीरपुर व काँगड़ा (पोंग जलाशय को छोडकर)			
सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल पालमपुर, जिला काँगड़ा, हि० प्र०	जिला काँगड़ा (पोंग जलाशय को छोडकर)	Adfisheries-pal-hp@nic.in	01894-231872
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, हमीरपुर जिला हमीरपुर, हि० प्र०	जिला हमीरपुर	-	-
मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म जिला काँगड़ा, हि० प्र०	मत्स्य फार्म काँगड़ा	-	-
जिला चंबा			
सहायक निदेशक मत्स्य, चंबा स्थित सुल्तानपुर जिला चंबा, हि० प्र०	जिला चंबा,	Adfisheries-cha-hp@nic.in	01899-233801
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, चंबा स्थित सुल्तानपुर जिला चंबा, हि० प्र०	जिला चंबा	-	-
मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट	ट्राऊट मत्स्य फार्म	-	-

मत्स्य फार्म होली फार्म जिला चंबा, हि० प्र०	होली		
मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट मत्स्य फार्म थल्ला जिला चंबा, हि० प्र०	ट्राऊट मत्स्य फार्म थल्ला		

जिला किन्नौर व शिमला

सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला जिला शिमला , हि० प्र०	जिला किन्नौर व शिमला	adfish-sml- hp@nic.in	0177-2830171
मत्स्य अधिकारी, धमवारी जिला शिमला , हि० प्र०	ट्राऊट मत्स्य फार्म धमवारी	-	-
मत्स्य अधिकारी, सांगला जिला शिमला , हि० प्र०	ट्राऊट मत्स्य फार्म सांगला	-	-

जिला सोलन

सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन स्थित शामती जिला सोलन हि० प्र०	जिला सोलन	adfisheries- sol-hp@nic.in	01792-229454
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, नालागड़ जिला सोलन हि० प्र०,	जिला सोलन	-	-

जिला सिरमौर

सहायक निदेशक मत्स्य, सिरमौर जिला सिरमौर हि० प्र०	जिला सिरमौर	adf-sir- hp@nic.in	01702-224985
--	-------------	-----------------------	--------------

जिला ऊना

सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना जिला ऊना हि० प्र०	जिला ऊना	Adfisheries- una-hp@nic.in	01975-227792
वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, गगरेट जिला ऊना हि० प्र०	जिला ऊना	-	-

**Postal Address:
Matasaya Bhawan
Changer Sector
Directorate of Fisheries
Himachal Pradesh, Bilaspur-174 001.
e-mail: fisheries-hp@nic.in
Phone-91-1978-224068(O)
Phone-91-1978-224068(Fax)
Phone-91-1978-223390(R)**

फार्म-क

आवेदन पत्र

मत्स्य पालकों को दी जाने वाली सहायता हेतु

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.....

निवासी.....डाकघर.....तहसील.....

जिला..... हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। मैं कुल रकवा बीघा

विस्वाजमीन का मालिक हूँ | मेरा आधार न०.....,बैंकखाता
न०.....शाखा.....IFSC (आई.एफ.एस.सी. कोड)..... है।

मैं केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम नीली क्रांति के अंतर्गत तालाब निर्माण/सुधार/रेसवेज, हैचरी, मत्स्य एकत्रीकरण केन्द्र तथा बर्फ के कारखाने का निर्माण करना चाहता/चाहती हूँ। इसलिए मुझे उक्त निर्माण कार्य के लिए सहायता प्रदान की जाए।

ऊपर लिखित कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त जो खर्च होगा उसे मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा/करूंगी या बैंक ऋण के रूप में मुबलिंग..... रूपये..... मात्र नियमानुसार प्राप्त करने के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया है। अतः आपसे प्रार्थना करता/ करती हूँ कि आप भी इस कार्य में मेरी सहायता करें।

दिनांक:-

हस्ताक्षर प्रार्थी

घोषणा पत्र

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नीश्री.....निवासी.....
..... डाकघर.....तहसील. जिला.....

हिमाचल प्रदेश यह घोषणा करता/ करती हूँ कि अभी तक मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत कोई सहायता प्राप्त नहीं की है/ट्राउट यूनिट/ है0 तालाब निर्माण/सुधार हेतु विभाग से
..... योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रार्थी श्री/श्रीमति
 सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.....निवासीडाकघर
 तहसील जिला हिमाचल प्रदेश को -----बीघा
 विस्वा भूमि मलकियत गांव में हैं | जिसमें बीघा भूमि सिंचित है
 | प्रार्थी इस इलाके का कृषक है।

तसदीक कर्ता

पटवारी

मैं सिफारिश करता हूँ कि प्रार्थी ने जिस कार्य के लिए आवेदन पत्र दिया है वह इसकी
 आर्थिक हालत सुधारने के लिये ठीक है। इसके लिए प्रार्थी को मु० रुपये धनराशि
 लगेगी। सम्बंधित प्रपत्र संलग्न है। इसलिए प्रार्थी को मु० रुपये सहायता के रूप में मत्स्य पालन
 योजना के अधीन दिए जाये |

दिनांक

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/
मत्स्य अधिकारी/विस्तार अधिकारी।

मैं सिफारिश करता/करती हूँ और प्रार्थना पत्र स्वीकृति हेतु सहायक निदेशक मत्स्य, मंडल
 जिला हिमाचल प्रदेश को प्रेषित है।

दिनांक

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/
मत्स्य अधिकारी/विस्तार अधिकारी।

मैंने प्रार्थना पत्र की पुर्णतः जांच कर ली है। प्रार्थी कृषक श्री/श्रीमति
 सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.....निवासी
डाकघर तहसील जिला
 हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति हेतु भारत सरकार
 द्वारा जारी मार्ग दर्शिका में दर्शाए गए प्रावधानों के अनुसार निर्माण हेतु..... प्रतिशत
 अनुदान सहायता के रूप में मु० रुपये स्वीकृत किये जाते हैं |

दिनांक

सहायक निदेशक मत्स्य